

  
संयुक्त  
राज्य

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,  
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004**

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2018/एफसीए/प्रमुखसं./

दिनांक

**वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति**

जिला एवं वनमण्डल सीकर में डायवर्जन ऑफ 3.9836 हे फोर आपरेटिंग वर्क ऑफ 132 के. वी.एस/सी लाईन सांग्रली रोड वाटर वर्क्स रानोली (विद डिस्मेन्टिलिंग ऑफ एग्जरेस्टिंग एच-पोल) (Proposal No. FP/RJ TRANS 36179/2018) के निर्माण हेतु 3.9836 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, IRO, जयपुर के पत्रांक 8वीं/राज/04/27/2020/एफसी/78 दिनांक 12.10.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित क्षेत्र में 246 वृक्षों की छटाई एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहृत की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

Eo

( डॉ. डी. एन. पाण्डेय )

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2018/एफसीए/प्रमुखसं./ 154-162

दिनांक

10/1/22

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, कनरा नं. B-216, IRO- जयपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, "अरण्य भवन" झालाना इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302004
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
7. उप वन संरक्षक, सीकर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. अधिशाषी अभियंता (टी. एण्ड सी.) आर.आर.वी.पी.एन.एल., सबलपुरा पावर हाउस, सीकर-332001
9. रक्षी पत्रावली।

( डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज )

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

Pragmeer  
30/01/22  
11/1/2022